न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर

बइजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी आर.ए.एस.

<u>मुकदमा नं. 13/2019</u>

वादी :–

1. शिम्भूसिंह पुत्र खिंयाराम जाति मेघवाल निवासी पट्टी डोबरिया तहसील मकराना जिला नागौर

प्रतिवादी :–

1. कमला पुत्र नारायण
2. पूसाराम पुत्र पांचूराम के कायम मुकाम
   2/1 बिरदीचन्द पुत्र पूसाराम के कायम मुकाम
   2/1/1 ललू उर्फ लाली पत्नि बिरदीचन्द
   2/1/2 बबलू पुत्र बिरदीचन्द
   2/1/3 पिन्टू पुत्र बिरदीचन्द
   2/1/4 चिन्टू पुत्र बिरदीचन्द
   2/1/5 दिनेश पुत्र बिरदीचन्द
   2/1/6 अंजू पुत्री बिरदीचन्द
   प्रतिवादी सं. 2/1/3 से 2/1/5 तक नाबालिंग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 2/1/1 ललू उर्फ लाली
   2/2 प्रभूराम पुत्र पूसाराम
3. बरजी पत्नि मन्नाराम
4. शान्ति पत्नि नारायण
5. हनुमानराम पुत्र मन्नाराम
   सभी जाति मेघवाल निवासी बडू तह. परबतसर
6. तहसीलदार परबतसर

वकील वादी – गजराज चौहान उपस्थित
वकील प्रतिवादी सं. 1,3,4 व 5 – बी.आर.कटारिया

<u>दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

वाद वादी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बडू राजस्व सीमा में खसरा सं. 866 रकबा 0.1800 हैक्टर जमीन वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जमीन में वादी का 149/600 हैक्टर जमीन का हिस्सा बनता है जो दिनांक 30.5.2018 को प्रतिवादी संख्या 4 से रजिस्टर्ड बेचान के जरिये 1/3 हिस्से में से 447 वर्गमीटर की जमीन खरीद की थी जो मौके पर उत्तर पूर्वी हिस्से आया हुआ है वादी की जमीन के कटाणी रास्ता लगता है। वाद के साथ परिष्ठि'क' पेश किया गया। जो वाद पत्र का अभिन अंग समझा जावे। इसलिए वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण परिष्ठि क के अनुसार उपरोक्त जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त जमीनों में संयुक्त खातेदार है चूकि संयुक्त खातेदारी

की जमीन में प्रत्येक खातेदार का जमीन के प्रत्येक खातेदार का जमीन के प्रत्येक इंच में हक हिस्सा होता है वादी अपने हक हिस्से पर काबिज काश्तकार है। अतः ग्राम बड़ू की राजस्व जमीन के खसरा नम्बर 866 रकबा 0.1800 हैक्टर जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवारा परिष्ठि क के अनुसार किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1,3,4,5 की ओर से वकील बी.आर कटारिया ने वकालतनामा एंवं इकबालिया जबाब पेश किया गया जो शा.मि. किया गया। प्रतिवादी सं. 2 के कायम मुकाम के बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में दिनांक 10.6.2019 को वकील वादी के निवेदन पर बहस सुनी गई। ग्राम बड़ू की राजस्व जमीन खसरा नं. 866 रकबा 0.1800 हैक्टर जमीन में वादी जमाबन्दी अनुसार 149/600 हैक्टर जमीन का खातेदार है। मौके की वास्तविक स्थिति वादी के खातेदारी हक व कब्जे के अनुसार ग्राम बड़ू के खसरा नं. 866 रकबा 0.1800 हैक्टर जमीन में से वादी के 149/600 हिस्से अर्थात 447 वर्गमीटर जमीन का बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जो शा.मि. किया गया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं बहस वकील वादी का आधोपन्त अध्ययन एवं मनन किया। जमाबंदी संवत् 2073–2076 मौजा बड़ू के खसरा सं. 866 रकबा 0.1800 हैक्टर में से वादी 149/600 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। वाद वादी माफिक बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है कि मौजा बड़ू के खसरा सं. 866 रकबा 0.1800 हैक्टर में से वादी शिम्भूराम पुत्र खींयाराम जाति मेघवाल सा. पट्टी डोबरिया तहसील मकराना को उतरी पूर्वी तरफ 0.0447 हैक्टर का एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का शामलाती 0.1353 हैक्टर में से प्रतिवादी सं. 1 कमला पुत्री नारायण 765/13530, प्रतिवादी सं. 4 शान्ति पत्नि नारायण 765/13530, प्रतिवादी सं. 5 हनुमानराम पुत्र मनाराम को 300/1353, बरजी पत्नि मनाराम 300/1353, प्रतिवादी सं. 2/2 प्रभूराम पुत्र पूसाराम 300/1353 प्रतिवादी सं. 2/1 के वारिसान ललू उर्फ लाली पत्नि बिरदीचन्द, बबलू, पिन्टू, चिन्टू, दिनेश पि. बिरदीचन्द, अंजू पुत्री बिरदीचन्द को 300/1353 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मूल वाद में डिक्री

(ऑ. 20 रूल 6 और 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी परबतसर

बइजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी

<u>वादी :–</u>

1. शिम्भूसिंह पुत्र खिंयाराम जाति मेघवाल निवासी पट्टी डोबरिया तहसील मकराना जिला नागौर

<u>प्रतिवादी :–</u>

1. कमला पुत्र नारायण
2. पूसाराम पुत्र पांचूराम के कायम मुकाम
   2/1 बिरदीचन्द पुत्र पूसाराम के कायम मुकाम
   2/1/1 ललू उर्फ लाली पत्नि बिरदीचन्द
   2/1/2 बबलू पुत्र बिरदीचन्द
   2/1/3 पिन्टू पुत्र बिरदीचन्द
   2/1/4 चिन्टू पुत्र बिरदीचन्द
   2/1/5 दिनेश पुत्र बिरदीचन्द
   2/1/6 अंजू पुत्री बिरदीचन्द
   प्रतिवादी सं. 2/1/3 से 2/1/5 तक नाबालिंग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 2/1/1 ललू उर्फ लाली
   2/2 प्रभूराम पुत्र पूसाराम
3. बरजी पत्नि मन्नाराम
4. शान्ति पत्नि नारायण
5. हनुमानराम पुत्र मन्नाराम सभी जाति मेघवाल निवासी बड़ू तह. परबतसर
6. तहसीलदार परबतसर

राजस्व वाद सं. – 13/2019

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: डिक्री ::

वाद वादी माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा बड़ू के खसरा सं. 866 रकबा 0.1800 हैक्टर में से वादी शिम्भूराम पुत्र खींयाराम जाति मेघवाल सा. पट्टी डोबरिया तहसील मकराना को उतरी पूर्वी तरफ 0.0447 हैक्टर का एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का शामलाती 0.1353 हैक्टर में से प्रतिवादी सं. 1 कमला पुत्री नारायण 765/13530, प्रतिवादी सं. 4 शान्ति पत्नि नारायण 765/13530, प्रतिवादी सं. 5 हनुमानराम पुत्र मनाराम को 300/1353, बरजी पत्नि मनाराम 300/1353, प्रतिवादी सं. 2/2 प्रभूराम पुत्र पूसाराम 300/1353 प्रतिवादी सं. 2/1 के वारिसान ललू उर्फ लाली पत्नि बिरदीचन्द, बबलू, पिन्टू, चिन्टू, दिनेश पि. बिरदीचन्द, अंजू पुत्री बिरदीचन्द को 300/1353 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार परबतसर को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

इस वाद में खर्चे लेखे..निल. रुपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ...निल... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ....निल... के द्वारा ...निल... को दी जावेगी।

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
निल	निल	निल	निल

आज दिनांक 22.07.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(अशोक कुमार चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी

परबतसर